APPENDIX XXX

(Referred to in paragraph 73 of Chapter IV)

उत्तर प्रदेश शासन
राष्ट्रीय एकीकरण विभाग

संख्या ६/२१/७१ रा० एकी

लखनऊ, दिनांक १६ जनवरी, १९७२

विज्ञप्ति

विज्ञप्ति संख्या ६/२/७१–रा० एकी०, दिनांक १५ सितम्बर, १९७१ जिसमें प्रदेश में उर्दू भाषा की प्रगति तथा विकास के हित में मुख्य मंत्री जी की अध्यक्षता में एक उर्दू अकादमी की स्थापना की स्वीकृति प्रदान की गई थी, को निरस्त करते हुये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, 'उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी' की स्थापना के संबंध में आदेश देते हैं कि:—

(१) 'उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी' उत्तर प्रदेश की राज्य मंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग की अध्यक्षता में एक स्वशासी संस्था होगी।

(२) उर्दू अकादमी का रजिस्टर्ड कार्यालय शहर लखनऊ में रहेगा।

(३) उर्दू अकादमी के उद्देश्य एवं कार्य संलग्न ज्ञापन-पत्र के अनुसार होंगे (परिशिष्ट १)।

(४) उर्दू अकादमी की एक कार्य कारिणी समिति होगी, जिसके अध्यक्ष शासन द्वारा नियुक्त उर्दू क्षेत्र के प्रतिष्ठित व्यक्ति होंगे।

(५) उर्दू अकादमी के सचिव की नियुक्ति, उतनी अवधि तथा उतने वेतन पर, जिसे शासन निश्चित करे, शासन द्वारा की जायेगी।

(६) उर्दू अकादमी की सदस्यता एवं नियमावली संलग्न परिशिष्ट २ के अनुसार होंगे।

(७) उत्तर प्रदेश शासन का राष्ट्रीय एकीकरण विभाग उर्दू अकादमी के मामलों में प्रशासकीय विभाग होगा।

(८) उर्दू अकादमी पर होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष के आय-व्ययक के निम्नलिखित लेखा शीर्षक से नाम डाला जायेगा :

"२८—शिक्षा आयोजनागत–अ–सामान्य (ब) प्रकीर्ण व्यय–(८) प्रदेश में उर्दू के विकास एवं प्रचार की योजना–१–उर्दू बोर्ड का गठन।"

त्रिभुवन प्रसाद,
सचिव।

संख्या ६/२१/७१–(१)–रा० एकी०

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:—

(१) राज्यपाल के सचिव।

(२) उत्तर प्रदेश के समस्त विभागाध्यक्ष, जिला तथा सेशन जज, जिला मजिस्ट्रेट तथा अन्य प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष।

(३) मुख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों/राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों के निजी सचिवों को मुख्य मंत्री, अन्य मंत्रियों/राज्य मंत्रियों तथा उप मंत्रियों की सूचनार्थ।

(४) महालेखाकार, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।

(५) सचिवालय के समस्त विभाग।

(६) उर्दू अकादमी के समस्त सदस्य।

(७) अधीक्षक, मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद को विज्ञप्ति के उर्दू रूपान्तर सहित, इस अभ्युक्ति के साथ कि इन विज्ञप्तियों को हिन्दी और उर्दू गजट के अगले अंक में प्रकाशित किया जाय।

आज्ञा से,

श्याम बिहारी शुक्ल,
भाषायी अल्प संख्यक अधिकारी।

परिशिष्ट १

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी का प्रतिष्ठान ज्ञापन-पत्र

नाम तथा रजिस्ट्रीकृत कार्यालयः—

१—सोसायटी का नाम उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी (जिसे आगे 'अकादमी' कहा गया है) होगा।

२—अकादमी का रजिस्ट्रीकृत कार्यालय लखनऊ, उत्तर प्रदेश में स्थित होगा।

कृत्य तथा उद्देश्यः—

३—अकादमी के कृत्य तथा उद्देश्य निम्नलिखित होंगेः—

(१) उर्दू भाषा तथा उसके साहित्य का संरक्षण करना, उसे प्रोत्साहित तथा उसका विकास करना।

(२) उर्दू में साहित्यिक तथा अकादमीय महत्ता की मूल कृतियों अथवा लोकप्रिय और बच्चों की पुस्तकों को प्रोत्साहन देना तथा प्रकाशित करना।

(३) साहित्यिक एवं वैज्ञानिक कृतियों और ऐसे अन्य विषयों की कृतियों के अनुवाद को, जिनका अभी तक उर्दू भाषा में अनुवाद नहीं हुआ है, व्यवस्था करना।

(४) उर्दू में अभिदेश कृतियों को तैयार तथा प्रकाशित करना।

(५) वैज्ञानिक रूप से संपादित उर्दू के प्राचीन साहित्य के मूल ग्रन्थों को प्रकाशित करना।

(६) अब तक अप्रकाशित उर्दू की कृतियों को प्रकाशित करना।

(७) उर्दू के सुपात्र लेखकों को उनकी कृतियों के प्रकाशन में सहायता देना।

(८) उर्दू लेखकों को पूर्ववर्ती वर्ष के दौरान प्रकाशित उनकी कृतियों पर वार्षिक पुरस्कार देना।

(९) उर्दू के वृद्ध तथा जरूरत मंद लेखकों को मासिक आर्थिक सहायता देना।

(१०) उर्दू अध्ययनार्थियों को उच्च अध्ययन के निमित्त, निर्दिष्ट अवधि के लिये, सुविधायें प्रदान करना जिसके अन्तर्गत आर्थिक सहायता भी है।

(११) प्रख्यात विद्वानों तथा अन्य ख्याति प्राप्त व्यक्तियों को भाषण देने के निमित्त आमंत्रित करना।

(१२) अन्य बातों के साथ-साथ विश्वव्यापी साहित्यिक धाराओं के परिप्रेक्ष्य में उर्दू संबंधी समस्याओं को विचार विमर्श के लिये अध्ययन गोष्ठियों, संगोष्ठियों, सम्मेलनों तथा अन्य अकादमीय प्रकार के समारोहों का आयोजन।

(१३) उर्दू में उच्चस्तरीय पत्रिकायें, नियतकालिक पत्रिकायें, मैगजीनें अथवा इसी प्रकार के प्रकाशन निकालना।

(१४) इन नियमों के अधीन प्रकाशित वस्तुओं के विक्रय का प्रबन्ध करना।

(१५) अकादमी के लिये चल तथा अचल संपत्ति का अर्जन करना, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि अचल संपत्ति का अर्जन करने की दशा में सरकार की पूर्वानुमति आवश्यक होगी।

(१६) ऐसे सभी कार्य और ऐसी सभी कार्यवाहियां करना जिनसे ऊपर निर्दिष्ट उद्देश्यों के आगे बढ़ने की संभावना हो।

४—अकादमी के वर्तमान सदस्यों के नाम, पदनाम, व्यवसाय एवं पते, जिनको अकादमी के कार्यों की व्यवस्था का भार सौंपा गया है, जैसा कि सन् १८६० के सोसायटीज रजिस्ट्रेशन ऐक्ट संख्या २१ के धारा २ में अपेक्षित हैः—

क्रम संख्या	नाम	व्यवसाय एवं पता	पद नाम
१	२	३	४
१	श्रीमती हामिदा हबीबुल्लाह ..	राज्य मंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	अध्यक्ष
२	श्री रामजी लाल सहायक ..	शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ..	सदस्य
३	श्री त्रिवेनी प्रसाद सिंह ..	सचिव, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	"
४	श्री त्रिवेनी प्रसाद सिंह ..	सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली	"
५	श्री त्रिभुवन प्रसाद ..	सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ।	"
६	श्री भरत नारायन ..	सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ..	"
७	श्री रविशंकर जौहरी ..	सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ..	"
८	श्री शिरोमणी शर्मा ..	सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश लखनऊ ..	"
९	श्री खलील-उल-रब ..	उप शिक्षा निदेशक, (उर्दू) इलाहाबाद ..	"
१०	श्री आनन्द नारायन मुल्ला ..	भूतपूर्व न्यायाधीश, उच्च न्यायालय एवं अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, उर्दू अकादमी, लखनऊ।	"
११	श्री आले अहमद सुरूर ..	अध्यक्ष, उर्दू विभाग, मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़	"
१२	श्रीमती अनीस किदवई ..	पोस्ट-मसौली, जिला बाराबंकी ..	"
१३	प्रो० एहतिशाम हुसैन ..	अध्यक्ष, उर्दू विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, इलाहाबाद।	"
१४	डा० नूरूल हसन हाशमी ..	अध्यक्ष, उर्दू विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ ..	"
१५	श्री श्रीलाल शुक्ला, वित्त सचिव के प्रतिनिधि।	उप सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ ..	"
१६	श्री मोहिउद्दीन अहमद, शिक्षा सचिव के प्रतिनिधि।	विशेष सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	"
१७	श्री श्याम बिहारी शुक्ल, सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के प्रतिनिधि।	भाषायी अल्प संख्यक अधिकारी, उत्तर प्रदेश, लखनऊ	"
१८		विभागाध्यक्ष, उर्दू, लखनऊ विश्वविद्यालय ..	"
१९		विभागाध्यक्ष, उर्दू, इलाहाबाद विश्वविद्यालय ..	"
२०		विभागाध्यक्ष, उर्दू, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय ..	"
२१		विभागाध्यक्ष, उर्दू, अलीगढ़ विश्वविद्यालय ..	"

४—इस सभी व्यक्तियों ने, जिनके नाम तथा पते नीचे दिये गये हैं, इस प्रतिष्ठान ज्ञापन-पत्र में वर्णित प्रयोजनों के लिये अपने को संबद्ध करके एतद्द्वारा इस प्रतिष्ठान ज्ञापन-पत्र में अपने नाम सम्मिलित किये जाने की स्वीकृति देते हैं और हस्ताक्षर करते हैं और अधिनियम संख्या २१, १८६० के अधीन सोसायटी के रूप में अपने को संगठित करते हैं।

क्रम संख्या	नाम तथा पता	हस्ताक्षर	साक्षी का नाम तथा पता	साक्षी का हस्ताक्षर
१	श्रीमती हामिदा हबीबुल्लाह, राज्य मंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण, उत्तर प्रदेश।	ह०	श्री राम कृष्ण टंडन, निजी सचिव, राज्य मंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण।	ह०
२	श्री रामजी लाल सहायक, शिक्षा मंत्री, उत्तर प्रदेश।	ह०	श्री जयन्ती प्रसाद श्रीवास्तव, प्रवर वर्ग, सहायक, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।	ह०
३	श्री त्रिभुवन प्रसाद, सचिव, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	ह०		
४	श्री भरत नारायन, सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	ह०		
५	श्री रविशंकर जौहरी, सचिव, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	ह०	श्री के० बी० सक्सेना, निजी सचिव।	ह०
६	श्री मोहिउद्दीन अहमद, विशेष सचिव शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।	ह०	श्री जितेन्द्र नाथ प्रसाद, प्रवर वर्ग सहायक राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।	ह०
७	श्री श्याम बिहारी शुक्ल, भाषायी अल्प संख्यक अधिकारी, उत्तर प्रदेश शासन।	ह०		

प्रमाणित

दिनांकित: लखनऊ २४ दिसम्बर, १९७१।

म० प्रसाद,
अनुभाग अधिकारी,
राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।

परिशिष्ट २

उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी के प्रतिष्ठान की नियमावली

१—जब तक कि प्रसंग से अन्यथा अपेक्षित न हो, इस नियमावली में:—

निर्वचन खण्ड

(क) "अकादमी" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश उर्दू अकादमी से है।

(ख) "समिति" का तात्पर्य कार्यकारणी समिति से है।

(ग) "सरकार" का तात्पर्य उत्तर प्रदेश सरकार से है।

२—अकादमी में निम्नलिखित सदस्य होंगे:—

सदस्यता

(१)	राज्य मंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	अध्यक्ष
(२)	शिक्षा मंत्री अथवा उनका नाम निर्दिष्ट व्यक्ति ..	सदस्य
(३)	सचिव, सांस्कृतिक कार्य मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली ..	सदस्य
(४)	सचिव, शिक्षा मंत्रालय, भारत सरकार, नई, दिल्ली ..	सदस्य
(५)	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग ..	सदस्य
(६)	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग ..	सदस्य
(७)	सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग ..	सदस्य
(८)	सूचना निदेशक, उत्तर प्रदेश ..	सदस्य
(९)	शिक्षा उप निदेशक, (उर्दू) उत्तर प्रदेश ..	सदस्य
(१०) से (१७) तक	कार्यकारिणी समिति के सभापति तथा सदस्य	
(१८) से (२१) तक	उत्तर प्रदेश के आवासिक विश्वविद्यालयों के उर्दू के विभागाध्यक्षों से चार सदस्य	सदस्य
(२२)	ऐसे अन्य व्यक्ति जो सरकार द्वारा समय-समय पर नामित किये जायें	

सदस्यता की शर्तें और प्रतिबन्ध

३—(१) नियम २ में अभिदिष्ट (१) से (१७) तक समस्त सदस्य अकादमी के पदेन सदस्य होंगे जब कि शेष सदस्य सरकार द्वारा नाम-निर्दिष्ट किये जायेंगे।

(२) पदेन सदस्य, जैसे ही उस पद, जिसके आधार पर वे नियम के अधीन सदस्य नियुक्त किये गये थे, पर न रह जायें, अकादमी के सदस्य न रह जायेंगे।

(३) पदेन सदस्यों से भिन्न सदस्यों का कार्यकाल उनकी नियुक्ति के दिनांक से दो वर्ष होगा।

(४) कोई भी सदस्य अकादमी का सदस्य नहीं रह जायेगा, यदि उसकी मृत्यु हो जाय, वह त्याग-पत्र दे दे, विकृत चित्त का हो जाय, दिवालिया निर्णीत कर दिया जाय अथवा नैतिक-पतन समन्वित दण्डापराध के लिये सिद्ध-दोष हुआ हो या अपनी निरन्तर अनुपस्थिति अथवा किसी अन्य कारण जो सरकार द्वारा पर्याप्त समझा जाय, से अकादमी की सदस्यता से हटा दिया जाय। इस संबंध में सरकार का निर्णय अन्तिम होगा।

(५) जब कभी पदेन सदस्य से भिन्न कोई सदस्य अकादमी की सदस्यता से त्याग-पत्र देना चाहे, तो वह अकादमी के अध्यक्ष को संबोधित करके त्याग-पत्र भेजेगा और त्याग-पत्र इस प्रकार मिलते ही प्रभावशील हो जायगा।

प्रतिबन्ध यह है कि अध्यक्ष इसी प्रकार शासन के राष्ट्रीय एकीकरण विभाग में सचिव के पास त्याग-पत्र भेजकर पद त्याग सकता है ।

(६) अकादमी की सदस्यता में पदेन सदस्य की सदस्यता से भिन्न कोई रिक्ति सरकार द्वारा भरी जायेगी और सरकार द्वारा इस प्रकार नियुक्त व्यक्ति सदस्यता के कार्यकाल की असमाप्त अवधि के लिये पद धारण करेगा ।

(७) अकादमी अपना कृत्य करेगी भले ही उसके निकाय में कोई रिक्ति हो और भले ही उसके किसी भी सदस्य के नाम निर्देशन में कोई दोष हो और अकादमी का कोई भी कार्य या कार्यवाहियां केवल इस कारण अवैध न होंगी कि उसमें कोई रिक्ति विद्यमान है अथवा उसके किसी भी सदस्य के नाम निर्देशन में अथवा नियुक्ति में कोई दोष है ।

अध्यक्ष तथा उपाध्यक्ष

४—(१) राज्य मंत्री, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग, अकादमी के अध्यक्ष होंगे ।

(२) अकादमी का उपाध्यक्ष सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा । वह अकादमी की बैठकों की अध्यक्षता करेगा और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष की समस्त शक्तियों का प्रयोग करेगा ।

(३) अकादमी द्वारा अन्यथा निर्णय किये जाने के सिवाय, अध्यक्ष के आदेश अन्तिम होंगे ।

सचिव

५—अकादमी का सचिव, सरकार द्वारा ऐसी अवधि के लिये नियुक्त किया जायेगा जैसा सरकार उचित समझे । उसे ऐसा वेतन दिया जायेगा जिसे सरकार अवधारित करे ।

अकादमी की बैठकें

६—(१) अकादमी की वर्ष में कम से कम दो बार बैठक होंगी । अकादमी की बैठक बुलाने के लिये सदस्यों को पन्द्रह दिन का नोटिस देना आवश्यक होगा ।

(२) बैठक सचिव द्वारा अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् बुलाई जायेगी ।

(३) अकादमी की बैठक की गणपूर्ति पन्द्रह सदस्यों से होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बैठक जो गणपूर्ति के अभाव में स्थगित कर दी गई हो, के लिये अधिसूचित कार्य संपादन के निमित्त होने वाली बैठक के वास्ते किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी ।

(४) किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय अकादमी का निर्णय समझा जायेगा ।

(५) प्रत्येक बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखा जायेगा ।

(६) वर्ष की प्रथम बैठक वार्षिक सामान्य बैठक होगी ।

(७) कोई भी पदेन सदस्य यदि वह अकादमी की किसी बैठक में स्वयं उपस्थित होने में असमर्थ हो तो वह अपनी ओर से बैठक में उपस्थित होने के लिये किसी प्राधिकृत प्रतिनिधि को प्रतिनियुक्त कर सकता है और ऐसा प्रतिनिधि उन सभी शक्तियों का प्रयोग कर सकता है जिसे सदस्य स्वयं प्रयोग करने के लिये सक्षम हों ।

वार्षिक सामान्य बैठकों में सम्पादित किये जाने के कार्य

७—अकादमी की वार्षिक सामान्य बैठक में सचिव तथा कोषाध्यक्ष निम्नलिखित प्रस्तुत करेंगे :

(क) अकादमी का वार्षिक बजट, जिसमें आगामी वित्तीय वर्ष की सामान्य आय तथा व्यय का तखमीना और चालू वर्ष की अनुपूरक मांगें होंगी ।

(ख) अकादमी के गत वर्ष के कार्य के संबंध में प्रशासकीय रिपोर्ट और भविष्य में किये जाने वाले कार्य की रूप रेखा ।

(ग) बैलेंस-शीट, जिसमें अकादमी की संपत्तियों, परिसंपत्तियों तथा दायित्वों का एक संक्षिप्त विवरण और पिछले वित्तीय वर्ष का लेखा-परीक्षकों द्वारा यथाविधि प्रमाणित वित्तीय विवरण-पत्र होगा ।

(घ) कोई अन्य विषय जो अध्यक्ष के अनुमोदन से प्रस्तुत किया जाय ।

कतिपय लेखों की प्रतियां सरकार को भेजी जायेंगी

८—नियम ७ में अभिदिष्ट अकादमी के बैलेंस-शीट, वित्तीय विवरण-पत्र और उसके कार्य-संबंधी रिपोर्ट की प्रतियां अकादमी के सचिव द्वारा वार्षिक सामान्य बैठक से पन्द्रह दिन के भीतर सरकार को भेजी जायेंगी ।

९—(१) कार्यकारिणी समिति में निम्नलिखित सदस्य होंगे :—

(क) अध्यक्ष, जो सरकार द्वारा उर्दू के ख्याति प्राप्त लेखकों में से नियुक्त किया जायगा;

(ख) चार अन्य सदस्य, जो सरकार द्वारा उन व्यक्तियों में से नियुक्त किये जायेंगे जिन्हें उर्दू का सम्यक ज्ञान हो अथवा उसके विकास में रुचि रखते हों ।

(ग) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग का एक नामांकिती ।

(घ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, शिक्षा विभाग का एक नामांकिती ।

(ङ) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग का एक नामांकिती ।

(२) अकादमी का सचिव कार्यकारिणी समिति का भी सचिव होगा ।

(३) कार्यकारिणी समिति के अध्यक्ष तथा सदस्यों का कार्यकाल सामान्यतया दो वर्ष होगा । यदि सरकार ऐसा निश्चय करे तो इसे पहले भी समाप्त किया जा सकता है ।

(४) समिति के सदस्यों के संबंध में भी नियम ३ के उपनियम (४) से (७), आवश्यक परिवर्तनों के साथ लागू होंगे ।

कार्यकारिणी समिति की शक्तियां

१०—(१) समिति, अकादमी की नीति विषयक निर्णयों को प्रभावी बनायेगी और अकादमी के कार्य को कार्यान्वित करने का प्रबन्ध करेगी ।

(२) समिति को ऐसी सभी शक्तियां प्राप्त होंगी जो अकादमी के उद्देश्यों को, जैसा कि प्रतिष्ठान ज्ञापन-पत्र में उल्लिखित है, कार्यान्वित करने के लिये आवश्यक या इष्टकर हों ।

(३) उप नियम (१) और (२) द्वारा प्रदत्त शक्तियों की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, समिति को निम्नलिखित शक्तियां होंगी :—

(क) उर्दू में पुस्तकों तथा अन्य साहित्य की रचना और उनके प्रकाशन के संबंध में अपनी नीति निर्धारित करना,

(ख) अपने कार्य तथा प्रशासन के संचालन के लिये नियमों का बनाना, उन्हें अंगीकृत करना और उनमें परिवर्तन करना ।

(ग) अकादमी के कर्मचारियों को नियुक्त करना, स्थायी करना, उन्हें उन्नोचित या पदच्युत करना ।

(घ) अकादमी के पूर्वानुमोदन से अकादमी के कर्मचारियों की सेवा की शर्तें विहित करना ।

(ङ) अकादमी की निधियों को प्राप्त करना, रखना और व्यय करना और उसकी संपत्तियों तथा कार्यकलापों का प्रबन्ध करना ।

(च) अकादमी के पूर्वानुमोदन से अकादमी के प्रयोजनों के लिये किसी संपत्ति को क्रय करना, ऋण पर या विनिमय में लेना, किराये पर लेना या अन्य प्रकार से अर्जित करना अथवा उसका निस्तारण करना अथवा किसी संपत्ति को परिदान में लेना ;

(छ) अकादमी के किन्हीं कृत्यों को सामान्यतः कार्यान्वित करने अथवा किसी तदर्थ प्रयोजन के लिये एक या एकाधिक उप-समितियां नियुक्त करना ;

(ज) अपने कृत्यों को कार्यान्वित करने में परामर्श प्राप्त करने के प्रयोजनार्थ किसी सदस्य या किन्हीं सदस्यों को (पांच से अनधिक) आमंत्रित करना ।

११ (१) समिति की बैठकें जो महीने में कम से कम एक बार बैठक होगी और प्रत्येक ऐसी बैठक के लिये कम से कम दस दिन की नोटिस आवश्यक होगी। किन्तु कोई आपात बैठक २४ घंटे की नोटिस पर बुलायी जा सकती है। — समिति की बैठकें

(२) सचिव, अध्यक्ष से परामर्श करने के पश्चात् समिति की बैठक बुलायेगा।

(३) प्रत्येक ऐसी बैठक की कार्यवाहियों का अभिलेख रखा जायगा।

(४) किसी बैठक में उपस्थित सदस्यों के बहुमत द्वारा लिया गया निर्णय समिति का निर्णय समझा जायेगा।

(५) समिति की किसी बैठक के लिये गणपूर्ति व्यक्तिशः उपस्थिति तीन सदस्यों से होगी, किन्तु प्रतिबन्ध यह है कि ऐसी बैठक जो गणपूर्ति के अभाव से स्थगित कर दी गई हो, के लिये अधिसूचित कार्य संपादन के निमित्त होने वाली बैठक के वास्ते किसी गणपूर्ति की आवश्यकता न होगी।

१२—(१) समिति के सभापति को मानदेय के रूप में ऐसी धनराशि दी जायेगी जिसे सरकार समय-समय पर अवधारित करे। — समिति का सभापति।

(२) सभापति समिति की सभी बैठकों की अध्यक्षता करेगा।

(३) अकादमी का अध्यक्ष समिति की किसी बैठक में उपस्थित हो सकता है और जब वह उपस्थित हो तो वह बैठक की अध्यक्षता करेगा।

१३—(१) अकादमी का सचिव समिति का भी सचिव होगा। — समिति का सचिव

(२) समिति द्वारा किये जाने वाले निदेशों के अधीन रहते हुये, सचिव मुख्य कार्यकारी अधिकारी होगा जो अध्यक्ष के निदेश तथा पथ-प्रदर्शन के अधीन अकादमी के समुचित प्रशासन के लिये उत्तरदायी होगा।

(३) सचिव अकादमी की वार्षिक रिपोर्ट, लेखा तथा बजट ऐसे आकार में, जो सरकार द्वारा विहित किया जाय, तैयार करने के लिये उत्तरदायी होगा।

(४) सचिव कर्मचारी वर्ग के सदस्यों के कर्तव्यों को विहित करेगा और ऐसा पर्यवेक्षण तथा अनुशासनिक नियंत्रण रखेगा जो आवश्यक हो।

(५) सचिव, लेखकों तथा अनुवादकों से उनकी कृतियों, के संबंध में पत्र-व्यवहार करेगा, पाण्डुलिपि की जांच करेगा, उन्हें संपादित करायेगा और सभापति का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् उन्हें मुद्रित कराने का प्रबन्ध करेगा। वह अकादमी की ओर से सरकार के विभिन्न विभागों तथा अन्य निकायों से भी संपर्क स्थापित करेगा।

१४—(१) सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, वित्त विभाग अकादमी का वित्तीय परामर्शदाता होगा और अकादमी के वित्तीय संबंधी मामले उसे अभिदिष्ट किये जायेंगे। — वित्त लेखा तथा लेखा परीक्षा

(२) अकादमी समुचित लेखा तथा अन्य संगत अभिलेख रखेगी।

(३) अकादमी के लेखों की परीक्षा सरकार के पूर्वानुमोदन से नियुक्त लेखा-परीक्षकों द्वारा प्रतिवर्ष की जायेगी।

१५—(१) नियम ६(१) के खण्ड (ङ) के अधीन नाम-निर्दिष्ट समिति का सदस्य अकादमी का कोषाध्यक्ष होगा। — कोषाध्यक्ष

(२) बैंक में कोषाध्यक्ष द्वारा या उसके हस्ताक्षर से लेखा चलाया जायेगा।

१६—(१) अकादमी की संपत्तियों से होने वाली आय को प्रतिष्ठान ज्ञापन पत्र में उल्लिखित उद्देश्यों की प्रोन्नति के लिये लगाया जायगा। अकादमी की आय और संपत्ति का कोई भाग भूतपूर्व या वर्तमान सदस्यों को लाभांश बोनस या अन्य प्रकार से प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्षत न तो दिया जायगा और न हस्तान्तरित किया जायगा। — सामान्य उपबन्ध

(२) अकादमी के लेखबद्ध सभी लेखा तथा अन्य संलेख अकादमी के नाम में संपन्न अभिव्यक्त किये जायेंगे और सचिव तथा समिति के एक ऐसे सदस्य, जो समिति द्वारा इस प्रयोजन के लिये नाम निर्दिष्ट किया जायेगा, द्वारा अकादमी की ओर से निष्पादित किये जायेंगे।

(३) अकादमी अथवा उसकी ओर से नियुक्त किसी समिति के ऐसे सदस्य जो राज्य सरकार या केन्द्रीय सरकार अथवा परिनियत निकायों के कर्मचारी हों, अपनी-अपनी सरकार/परिनियत निकायों के नियमों के अनुसार यात्रा तथा दैनिक भत्ता पाने के हकदार होंगे। अकादमी के अन्य सदस्यों को भी दैनिक तथा यात्रा भत्ता उसी रूप में मिलेगा जो सरकार के प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों के लिये अनुमन्य हो।

(४) यदि इन नियमों के निर्वचन अथवा इन नियमों के अन्तर्गत न होने वाले किसी विषय के संबंध में कोई विवाद हो तो मतभेद राज्य सरकार को अभिदिष्ट किया जायेगा, जिसका इस पर निर्णय अन्तिम होगा।

विघटन — १७—यदि अकादमी का विघटन किये जाने पर ऋण तथा दायित्वों की सफाई किये जाने के पश्चात् कोई सम्पत्ति बच रहे, तो उसका निस्तारण सरकार द्वारा निदेशित रीति से किया जायेगा।

नियमों का संशोधन — १८—इन नियमों में संशोधन, परिवर्धन या परिवर्तन, सरकार के अनुमोदन के अधीन रहते हुये, समुचित नोटिस देने के पश्चात् उक्त प्रयोजन के लिये विशेष रूप से बुलायी गयी अकादमी की सामान्य बैठक में किया जा सकता है।

अकादमी के नियमों तथा विनियमों की सत्यापित प्रतिलिपि।

प्रमाणित

म० प्रसाद अनुभाग अधिकारी, राष्ट्रीय एकीकरण विभाग।	१—ह० (श्रीमती हामिदा हबीबुल्लाह) दिनांकित लखनऊ	२—ह० (त्रिभुवन प्रसाद) दिसम्बर, १९७१	३—ह० (श्याम बिहारी शुक्ल)